



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या- FC/154/2020- 803

प्रेषक,

नन्द कुमार मांझी,
उप वन संरक्षक।

सेवा में,

श्री सुमित कुमार,
पिता-श्री मनोहर पासवान,
अकबरनगर पुलिस स्टेशन के पास,
सुलतानगंज, जिला-भागलपुर,
पिन-813223

पटना 14, दिनांक- 07/11/2023

विषय- श्री सुमित कुमार द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत नासोपुर मौजा के खाता संख्या-251, प्लॉट संख्या-372, थाना-सुलतानगंज में NH-80 (अकबरनगर-सुलतानगंज) पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.021 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/50993/2020/1332, दिनांक 14.08.2023 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 599, दिनांक 24.08.2023 एवं आपका पत्र दिनांक 31.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/50993/2020/1332, दिनांक 14.08.2023 द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर दो भागों में (A एवं B) सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। भाग-A में 1-7 शर्तें तथा भाग-B में 1-09 शर्तें अधिरोपित है। तदालोक में इस कार्यालय के प्रसंगाधीन पत्र द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण (रु. 388/प्रति मा.दि. के आधार), NPV एवं Penal NPV की राशि जमा करने का निदेश दिया गया था। आपके प्रसंगाधीन पत्र द्वारा उक्त मद में राशि जमा किये जाने की सूचना दी गयी है, जिसमें क्षतिपूरक वनरोपण की राशि का आकलन रु. 388/प्रति मा.दि. के आधार है।

2. उक्त के संबंध में कहना है कि सैद्धांतिक स्वीकृति के भाग संख्या-A के कंडिका संख्या-1 के आलोक में हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 280 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रु. 395/प्रति मा.दि.) के आधार पर रु. 17,94,213/- (सतरह लाख चोरानवे हजार दो सौ तेरह रुपये) मात्र की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

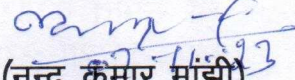
उक्त राशि का आकलन वर्तमान मजदूरी दर रु. 395 प्रति मानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनरोपण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

3. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु राशि रु. 17,94,213.00 (—) आपके द्वारा जमा की गयी राशि रु. 17,79,396.00 अर्थात् कुल अंतर की राशि रु. 14,817.00 (चौदह हजार आठ सौ सतरह रुपये मात्र) को विभागीय वेबसाईट parivesh.nic.in से सर्वप्रथम e-challan Generate करने के उपरांत Download किया जायेगा तथा संबंधित बैंक खाता में राशि हस्तान्तरित किया जायेगा।

4. राशि हस्तान्तरित करने के उपरांत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस कार्यालय को UTR No. एवं दिनांक के साथ मूलप्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, राँची के प्रसंगाधीन पत्र के भाग-A में सन्निहित 1-7 शर्तें तथा भाग-B में सन्निहित 1-9 शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित करेंगे, ताकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राँची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से विषयाधीन मामले पर अन्तिम स्वीकृति (Stage- II Clearance) प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,

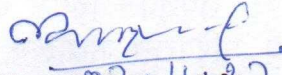

(नन्द कुमार मांझी)

उप वन संरक्षक।

ज्ञापांक FC/154/2020-803

दिनांक 07/11/2023

प्रतिलिपि : वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर वन प्रमंडल, भागलपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 280 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रु. 395/प्रति मा.दि.) के आधार पर प्रयोक्ता एजेंसी एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय (मॉडल प्राक्कलन संलग्न)।

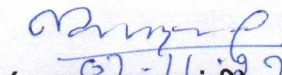

(नन्द कुमार मांझी)

उप वन संरक्षक।

ज्ञापांक FC/154/2020-803

दिनांक 07/11/2023

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नन्द कुमार मांझी)

उप वन संरक्षक।